सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2016/00300(156/2016) दर्ज तिथिः—17.10.2016

1. नथाराम पुत्र टीकुराम
2. हीरो देवी पत्नी नथाराम
   जाति जाट निवासी निम्बलनाडी निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

..................वादी

बनाम

1. पेमाराम पुत्र अचलाराम
2. मूलाराम पुत्र अचलाराम
3. किरताराम पुत्र टीकुराम
4. रावताराम पुत्र गुमनाराम
5. लुंभाराम पुत्र गुमनाराम
6. रूगाराम पुत्र चोलाराम
7. भैराराम पुत्र चोलाराम
8. राजो पत्नी गिरधारी
9. किशनाराम पुत्र लालाराम
10. मानी देवी पत्नी किरताराम
    समस्त जाति जाट निवासी निम्बलनाडी निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

..................असल प्रतिवादीगण

11. तहसीलदार गुढामालानी

..............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीगणः— श्री डालूराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 17.03.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 14:48:43 IST
Reason: SelfAttested

पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 294 / 0.1294 है0, 295 / 6.6338 है0, 302 / 0.2103 है0, 303 / 11.3260 है0, 322 / 5.2423 है0, 145 / 10 बिस्वा, 259 / 15.8402 है0, 306 / 4.4980 है0, कुल रकबा 125 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम निम्बलनाडी निम्बलकोट तहसील नोखडा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर अपना जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के हिस्से का खाता भी पृथक किया जावे।

3. तत्पश्चात् साक्ष्य प्राप्त की जाकर दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस पर दिनांक 13.07.2022 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 81 दिनांक 17.02.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव / कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषकगण वादी की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 81 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 14:48:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 15.01.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 584—595 दिनांक 13.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 15.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 584—595 दिनांक 13.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 15.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076—2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 294 / 0.1294 है0, 295 / 6.6338 है0, 302 / 0.2103 है0, 303 / 11.3260 है0, 322 / 5.2423 है0, 145 / 10 बिस्वा, 259 / 15.8402 है0, 306 / 4.4980 है0, कुल रकबा 125 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम निम्बलनाडी निम्बलकोट तहसील नोखडा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 14:48:43 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 294/0.1294 है0, 295/6.6338 है0, 302/0.2103 है0, 303/11.3260 है0, 322/5.2423 है0, 145/10 बिस्वा, 259/15.8402 है0, 306/4.4980 है0, कुल रकबा 125 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम निम्बलनाडी निम्बलकोट तहसील नोखडा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
नथाराम पुत्र टीकूराम कौम जाट सा0 देह खातेदार	निम्बलनाडी	322	1.9618	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.9618 है0				
हीरोदेवी पत्नी नथाराम कौम जाट सा0 देह	निम्बलनाडी	259	2.2598	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.2598 है0				
पेमा पुत्र अचला हि0 1/16 भेरा पुत्र चौला हि0 5/32 मूला पुत्र अचला हि0 1/16 मानीदेवी पत्नी किरताराम हि0 1/8 रूगा पुत्र चोला हि0 5/32 राजो पत्नी गिरधारी हि0 1/16 रावता वल्द गुमना हि0 3/16 लुभा पुत्र गुमना हि0 3/16 जाति जाट सा0 देह खातेदार	निम्बलनाडी	259 306	13.5804 4.4980	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 18.0784 है0				
किरता पुत्र टीकू हि0 1/11 किशना पुत्र लाला हि0 3/11 पेमा पुत्र अचला हि0 1/22 भेरा पुत्र चोला हि0 5/44 मूला पुत्र अचला हि0 1/22 रूगा पुत्र चोला हि0 5/44 राजो पत्नी गिरधारी हि0 1/22 रावता पुत्र गुमना हि0 3/22 लुंभा पुत्र गुमना हि0 3/22 जाति जाट सा0 देह खातेदार	निम्बलनाडी	294 295 302 303 322	0.1294 6.6338 0.2103 11.3260 3.2805	गै0मु0 बा0सो0 गै0मु0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 05 रकबा 21.5800 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 14:48:43 IST
Reason: SelfAttested

है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 14:48:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2016/00300(156/2016) दर्ज तिथिः–17.10.2016

1. नथाराम पुत्र टीकुराम
2. हीरो देवी पत्नी नथाराम

जाति जाट निवासी निम्बलनाडी निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

..................वादी

बनाम

1. पेमाराम पुत्र अचलाराम
2. मूलाराम पुत्र अचलाराम
3. किरताराम पुत्र टीकुराम
4. रावताराम पुत्र गुमनाराम
5. लुंभाराम पुत्र गुमनाराम
6. रूगाराम पुत्र चोलाराम
7. भैराराम पुत्र चोलाराम
8. राजो पत्नी गिरधारी
9. किशनाराम पुत्र लालाराम
10. मानी देवी पत्नी किरताराम

समस्त जाति जाट निवासी निम्बलनाडी निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

.................असल प्रतिवादीगण

11. तहसीलदार गुढामालानी

..............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीगणः– श्री डालूराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 294/0.1294 है0, 295/6.6338 है0, 302/0.2103 है0, 303/11.3260 है0, 322/5.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 14:48:43 IST
Reason: SelfAttested

2423 है0, 145 / 10 बिस्वा, 259 / 15.8402 है0, 306 / 4.4980 है0, कुल रकबा 125 बीघा 14 बिस्वा ~~294 / 0.1294 है0, 295 / 6.6338 है0, 302 / 0.2103 है0, 303 / 11.3260 है0, 322 / 5.2423 है0, 259 / 15.8402 है0, 306 / 4.4980 है0,~~ वाके ग्राम निम्बलनाडी निम्बलकोट तहसील नोखडा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
नथाराम पुत्र टीकूराम कौम जाट सा0 देह खातेदार	निम्बलनाडी	322	1.9618	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.9618 है0				
हीरोदेवी पत्नी नथाराम कौम जाट सा0 देह	निम्बलनाडी	259	2.2598	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.2598 है0				
पेमा पुत्र अचला हि0 1 / 16 भेरा पुत्र चौला हि0 5 / 32 मूला पुत्र अचला हि0 1 / 16 मानीदेवी पत्नी किरताराम हि0 1 / 8 रूगा पुत्र चोला हि0 5 / 32 राजो पत्नी गिरधारी हि0 1 / 16 रावता वल्द गुमना हि0 3 / 16 लुभा पुत्र गुमना हि0 3 / 16 जाति जाट सा0 देह खातेदार	निम्बलनाडी	259 306	13.5804 4.4980	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 18.0784 है0				
किरता पुत्र टीकू हि0 1 / 11 किशना पुत्र लाला हि0 3 / 11 पेमा पुत्र अचला हि0 1 / 22 भेरा पुत्र चोला हि0 5 / 44 मूला पुत्र अचला हि0 1 / 22 रूगा पुत्र चोला हि0 5 / 44 राजो पत्नी गिरधारी हि0 1 / 22 रावता पुत्र गुमना हि0 3 / 22 लुंभा पुत्र गुमना हि0 3 / 22 जाति जाट सा0 देह खातेदार	निम्बलनाडी	294 295 302 303 322	0.1294 6.6338 0.2103 11.3260 3.2805	गै0मु0 बा0सो0 गै0मु0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 05 रकबा 21.5800 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 14:48:43 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 14:48:43 IST
Reason: SelfAttested